न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 33/2020

1 मंगतुराम पुत्र फरसाराम जाति मेघवाल साकिन चक 23 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1 विनोद पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई साकिन चक 23 बी.डी. बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोतम सारस्वत वादी की ओर से

2 पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 01.08.2022**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की चक 23 बी.डी. बी के मु0नं0 74/16 के किला नं0 1 ता 15, 18 ता 22 तादादी 4.9315 यानि 19.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसपर लम्बे अरसे से वादी काबिज काश्त है एवं ढ़ाणी व मकान बनाकर रहवास कर रहा है। प्रतिवादी सं0 1 निहायजी झगड़ालू व भूमाफिया व्यक्ति है तो गरीब व असहाय लोगो की भूमि येन–केन हड़प लेता है। वो जबरन किला नं0 1 ता 5 से रास्ता निकालकर अपने खेत में जाना चाहता है जबकि प्रतिवादी के मु0नं0 74/15 के किला नं0 21 ता 25 में कटानशुदा रास्ता चालू है जिसकी नजर वादी की भूमि पर है और उसे येन–केन बहाने बनाकर हड़पने पर आमादा है। वादी के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटान रास्ता है तथा खाला भी वादी के खेत में है। राजनीतिक पहुँच से जबरन वादी की खातेदारी में रास्ता निकालकर उसपर ग्रेवल डालकर अपना रास्ता बंद करना चाहता है। अतः वाद वादी पेश कर अर्ज है कि चिरनिषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि वादी की कब्जाकाश्त खातेदारी शुदा भूमि चक 23 बी.डी. बी के मु0नं0 74/16 के किला नं0 1 ता 15, 18 ता 22 तादादी 4.9315 यानि 19.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड में प्रतिवादी दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करे या करावें जिससे वादी के हक–हकूकों, कब्जाकाश्त, उपयोग–उपभोग एवं फसली लाभों पर बेजा असर पड़े।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:09:25 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम पत्रावली दर्ज रजिस्टर की [illegible] तिवादी सं0 1 को तलवी हेतु जरिये रजि0ए0डी0 समन/नोटिस भिजवाये [illegible] उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 01.08. 2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रकबे की जमाबंदी अनुसार उक्त रकबा वादी के नाम खातेदार दर्ज है इसलिए वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादी का वाद धारा 188 आरटीएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा चिरनिषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 वादी की कब्जाकाश्त खातेदारी शुदा भूमि चक 23 बी.डी. बी के मु0नं0 74/16 के किला नं0 1 ता 15, 18 ता 22 तादादी 4. 9315 यानि 19.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड में दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करे या करावें जिससे वादी के हक–हकूकों, कब्जाकाश्त, उपयोग–उपभोग एवं फसली लाभों पर बेजा असर पड़े। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:09:25 IST
Reason: SelfAttested